सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण

औद्योगिक क्षेत्र-सतहरिया, जौनपुर

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

सतहरिया- 05454-273304 05454-273669

पत्रांकः 1608(1-3)   दिनांकः 21-1-2019.......

विज्ञप्ति

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय की स्वीकृति दिनांक 10.01.2019 के क्रम में एक वर्ष के लिए सीडा प्राधिकरण में औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया में उच्चकोटि की सफाई एवं मलवा डिस्पोजल के दृष्टिकोण से सफाई कार्य को आउटसोर्स के माध्यम से किसी मान्यता प्राप्त एजेन्सी से निम्न शर्तो के अधीन कराये जाने की आवश्यकता है।

1. Scope of work-

औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया कुल 508 एकड़ भूमि पर विकसित है। 17 किलोमीटर पक्की सड़के है। औद्योगिक क्षेत्र दो सेक्टरों यथा उत्तरी एवं दक्षिणी में विभक्त है। दोनों सेक्टरों में पक्की सड़कों के समानान्तर नालियां बनी हुई है। आवासीय परिक्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 38 एकड़ (508 एकड़ के अन्तर्गत) है

i) उत्तरी एवं दक्षिणी सेक्टर स्थित औद्योगिक एवं आवासीय क्षेत्र की नालियों की सफाई एवं निकाले गये मलवे को निर्धारित स्थल पर एकत्रित किये जाने का कार्य।

ii) आवासीय क्षेत्र में Door to Door, Garbage Collect कर निर्धारित स्थल पर एकत्रित किये जाने का कार्य।

iii) औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाईयों/फैक्टरी से निकलने वाले Domestic waste को Collect कर निर्धारित स्थल पर एकत्रित किये जाने का कार्य।

iv) सड़क के किनारे स्थित बबूल, घास, कूड़ा इत्यादि को हटाने का कार्य।

निविदा हेतु शर्तेः–

2(a) निविदा प्रपत्र के साथ रू0 20,000.00 की जमानत जो एन0एस0सी0, एफ0डी0आर0, सी0डी0आर0 के रूप में मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीडा के पद नाम से बन्धक हो जमा करना अनिवार्य होगा।

(b) धरोहर धनराशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(c) सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया में सफाई कार्य किया जाना है। सफाई कार्य की गुणवत्ता का मानक उच्चकोटि का होगा।

(d) सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया को कुल 03 सेक्टरों में विभक्त किया जायेगा। आवश्यकतानुसार सेक्टर वाईज सफाई का कार्य नियमित रूप से सम्पादित किया जाना अनिवार्य होगा। दैनिक रूप से प्रत्येक सेक्टर में कम से कम पांच सफाई कार्मिक अनिवार्य रूप से कार्य करते रहेंगे। कदाचित सेक्टर वाईज स्थल पर दैनिक रूप से सफाई कार्मिकों की उपस्थिति न पाये जाने पर फर्म के विरूद्ध नियमानुसार/एग्रीमेन्ट में निर्धारित शर्तो के अधीन कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(e) निविदा देने के लिए वही व्यक्ति/फर्म पात्र होगा, जो आयकर/GST/श्रम विभाग में पंजीकृत हो।

(f) भुगतान के समय बिल से नियमानुसार आयकर, शेष चार्ज आदि की कटौती की जायेगी।

(g) जिस व्यक्ति/फर्म की निविदा स्वीकृत होगी उसे नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अपने खर्च से अनुबन्ध करना आवश्यक होगा, तत्पश्चात् ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

(h) सक्षम अधिकारी में बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार निहित होगा।

(i) निविदायें दिनांक 30-1-19 को समय 2.00 अपरान्ह से 3.00 अपरान्ह तक औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया स्थित सीडा के प्रशासनिक कार्यालय में रखे गये निविदा बाक्स में डाली जायेगी। प्राप्त निविदाएं उसी दिन समय 3.30 बजे अपरान्ह में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निविदादाताओं की उपस्थिति/अनुपस्थिति जैसी भी स्थिति होगी खोली जायेगी। निविदा फार्म दिनांक 21-1-19 से दिनांक 29-1-19 तक कार्यालय समय 5.00 बजे तक निर्धारित शुल्क रू0 590/– अदा करके औद्योगिक क्षेत्र सतहरिया स्थित प्रशासनिक कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के संबंध में विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में सीडा कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(हर्ष प्रताप सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सीडा, जौनपुर।

संख्या–   सीडा/विज्ञप्ति/2018–2019   तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ।
2. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं जनसंदेश समाचार पत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति वाराणसी एवं इलाहाबाद संस्करण में सरकारी दर पर न्यूनतम स्पेश में प्रकाशित कराते हुए प्रकाशित समाचार पत्र की 02 प्रतियों के साथ बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(हर्ष प्रताप सिंह)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
सीडा, जौनपुर।